



कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा-5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था एवं मा० कार्य परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 28.12.2018 के कार्यवृत्त पत्रांक 1754 / फा०सं०-36(पंचम) / कार्य परिषद / 2018-19 दिनांक: 11 जनवरी, 2019 के बिन्दु संख्या 4/22 में लिए गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकवृन्द में से विश्वविद्यालय के कार्यालय-आदेश संख्या-1856 / फा०सं०-499 / एच०ओ०डी० / 2018-19, दिनांक: 31 जनवरी, 2019 द्वारा डॉ० राशि कृष्ण सिन्हा एसोसिएट प्रोफेसर को अर्थशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्ति करने के साथ-साथ अन्य विभाग के विभागाध्यक्ष को अग्रिम आदेशों तक नियुक्ति किया गया था।

तत्क्रम में मा० कार्य परिषद की 24वीं बैठक दिनांक: 04.07.2019 के कार्यवृत्त पत्रांक: 670 / फा०सं०-36 (पंचम) / कार्य परिषद / 2019-20 दिनांक: 06 जुलाई, 2019 के बिन्दु संख्या: 02 / 24 में "विश्वविद्यालय में मा० कार्य परिषद द्वारा विभागाध्यक्ष के कार्यकाल के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।" अतः मा० कार्य परिषद के उक्त निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के पूर्व निर्गत कार्यालय-आदेश संख्या-1856 / फा०सं०-499 / एच०ओ०डी० / 2018-19, दिनांक: 31 जनवरी, 2019 में अर्थशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष के कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए संशोधित पढ़ा जाय। शेष आदेश पूर्ववत् प्रभावी रहेगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति जी को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक / परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. डॉ० राशि कृष्ण सिन्हा, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग।
7. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव